123

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5647/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 431/अपील/2017-18.

---

1. श्री गोवर्धन
2. श्री वृंदावन
3. श्री लक्ष्मण
4. श्रीमती शकुन

   क्र. 1 से 4 पुत्र एवं पुत्री स्व. श्री धनीराम
5. श्रीमती शांति बाई पत्नी स्व. श्री धनीराम

   निवासी ग्राम चंदेरी, तहसील हुजूर,

   जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. गिरजा बाई पत्नी श्री जयलाल
2. संतोष आ. श्री जयलाल
3. रामकेश
4. अशोक
5. सोनू

   तीनों पुत्रगण श्री भुजबल
6. धन्नोबाई पत्नी श्री भुजबल
7. सौरम बाई पत्नी स्व. श्री दशरथ
8. रूपा बाई
9. गीता बाई
10. नन्नी बाई पुत्रियां स्व. श्री रामप्रसाद
11. मिश्रीलाल

12.बागमल

13.कालूराम

14.बिनिया बाई

15.कल्ली बाई

16.गुड्डी बाई

17.कमलेश बाई पुत्रियां स्व. श्री हरलाल

18.प्रेमचंद पुत्र स्व. श्री किशन

19.सुकिया बाई पत्नी स्व. श्री काशीराम

20.ओमप्रकाश

21.रघुवीर

22.दिनेश

23.छोटेराम

24.भागीरथ

25.रवि क्र. 20 से 25 पुत्रगण स्व. श्री काशीराम

26.लक्ष्मीनारायण

27.हरिनारायण दोनों पुत्रगण स्व. श्री जमनाप्रसाद

28.केशरबाई

29.भागवती बाई पुत्रियां स्व. श्री जमनाप्रसाद

30.राजमल

31.दीनदयाल

32.नरेश तीनों पुत्रगण स्व. श्री सीताराम

33.श्रीमती चिन्ता बाई पुत्री स्व. श्री सीताराम

34.श्रीमती छोटी बाई पत्नी स्व. श्री अवधनारायण

35.मुकेश

36.मोहन

37.जीवन पुत्रगण स्व. श्री अवधनारायण

38.जानकीप्रसाद

39.हरि पुत्रगण स्व. श्री आनंदीलाल

40.मनीराम आ. स्व. श्री बारेलाल

41.काशीबाई

42.सुआबाई दोनों पुत्रियां स्व. श्री बारेलाल

निवासीगण ग्राम चंदेरी, तहसील हुजूर,

जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 27/6/19 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चंदेरी स्थित भूमि खसरा क्र. 278, 279, 281, 282, 288, 292/2, 302, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 530/467 कुल रकबा 78.07 एकड़ का एक सामलाती खाता है जिसका मौके पर बंटवारा कर लिया गया था और बंटवारा अनुसार अवेदकगण का कब्जा है। लेकिन राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि संयुक्त खाते में चली आ रही है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात 10.541 हैक्टर में से 1/7 हिस्सा अर्थात् 1.138 हेक्टेयर भूमि स्व. श्री धनीराम आत्मज श्री भाव सिंह के साथ स्व. श्री धनीराम की माता जी श्रीमती रामकुंअर बाई द्वारा दिनांक 09-2-1968 को धनीराम आ. श्री भावसिंह को खसरा क्र. 465 में से 2.25 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 469 में से 0.405 हेक्टेयर उनके हिस्से की भूमि वसीयत की गई थी। इस प्रकार आवेदकगण का कुल भूमि के 1/3 हिस्सा रकबा 10.541 में से 3.768 हेक्टेयर पर स्वत्व एवं आधिपत्य है। आवेदकगण का खसरा क्र. 465 में से 2.25 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 469 में से 0.878 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 278, 279, 281 एवं 282 में से 0.405 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 302 में से 0.052 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 470 में से 0.126 हैक्टर, खसरा नं0 471 में

से 0.010 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 472 में से 0.072 हैक्टर कुल रकबा 3.768 हेक्टेयर पर स्वत्व एवं आधिपत्य है। मौके पर कब्जा एवं बंटवारा अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक बटांक कायम किए जाये। उक्त आवेदन पर से अपर तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 15/अ-27/2011-12 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 28-2-17 द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया। अपर तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 23-10-2017 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के द्वारा दिनांक 06-6-18 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं विधिक प्रावधानों पर विधिवत विचार नहीं किया है। आवेदकगण जिस श्रेणी के हिस्सेदार हैं उसमें केवल 1/3 हिस्सा लिखा है तथा अन्य सह खातेदारों का कोई पृथक हिस्सा नहीं लिखा है। स्थल पंचनामा दिनांक 16-6-16 में भी आवेदकगण का लगभग 9 एकड़ भूमि पर आधिपत्य बताया गया है, जिस पर किसी भी सहखातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार आवेदकगण का सम्पूर्ण खाते की 1/3 भूमि रकबा 10.541 हेक्टेयर में से 3.768 हेक्टेयर का स्वत्व एवं आधिपत्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि आवेदकगण ने अपने आवेदन में मौके पर भूमियों का बंटवारा होने तथा उनके हिस्से में 1/3 भूमि रकबा 10.541 हेक्टेयर में खसरा क्र. 465 में से 2.25 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 469 में से रकबा 0.878 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 278ए, 279ए एवं 282 में से 0.405 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 302 में से 0.52 हैक्टर, खसरा नं0 470 में से 0.126 हेक्टर, खसरा नम्बर 471 में से 0.012 हेक्टेयर एवं खसरा क्र. 472 में से 0.072 हेक्टेयर कुल रकबा 3.768 हेक्टेयर पर स्वत्व एवं आधिपत्य होने का कथन किया गया है तथा समर्थन में साक्षीगण के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिन पर किसी भी अन्य सहखातेदार

द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है और आवेदन एवं शपथ-पत्र में किये गये कथन अखण्डनीय रहे हैं।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि अपर तहसीलदार के समक्ष प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त इश्तहार का प्रकाशन किया गया था और बंटवारे के संबंध में इश्तहार के प्रकाशन के उपरान्त किसी भी सह खातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। अपर तहसीलदार द्वारा सर्वप्रथम तलब किये गये फर्द बंटवारा एवं फर्द नक्शा को संबंधित पक्षों/सहखातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया गया था जिस पर सहखातेदारों की सहमति के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अंकित है। फर्द बंटवारा अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार के रिकार्ड में पृष्ठ क्र. 120 से 125 पर एवं फर्द बटान/नक्शा पृष्ठ क्र. 126 पर संलग्न है। उक्त फर्द बंटवारा पर किसी भी सहखातेदार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा बिना किसी आधार के दूसरा फर्द बटान/बंटवारा दिनांक 16-6-16 प्रस्तुत किया गया जो आधिपत्य के मान से गलत, मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिस पर अन्य सह खातेदारों द्वारा आपत्ति पेश की गई कि फर्द बंटवारा दिनांक 16-6-16 स्वत्व एवं आधिपत्य के मान से गलत है और उक्त फर्द बंटवारे से आधिपत्य प्रभावित हो रहा है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदकगण क्र. 1, 3 से 5 के पिता एवं 2 के पति स्व. श्री धनीराम आत्मज स्व. श्री भाव सिंह को उनकी माताजी श्रीमती रामकुंअर बाई द्वारा अपने हिस्से की भूमि खसरा क्र. 465 में से 2.25 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 469 में से 0.405 हेक्टेयर दिनांक 19-2-1968 को साक्षीगण एवं उनके सभी पुत्रों के समक्ष वसीयत की गई थी। वसीयतनामा को आवेदकगण द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है तथा वसीयतनामा पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। वसीयतनामा एवं स्वत्व आवेदकगण द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि प्रकरण में यह अविवादित है कि श्रीमती रामकुंअर बाईए स्व. धनीराम एवं उनके भाईयों की माताजी थी और उनके द्वारा अपने जीवनकाल में बंटवारा कर सभी भाईयों को भूमि प्रदान की थी और उनके हिस्से की भूमि स्व. श्री धनीराम को वसीयत की गई थी। वसीयत में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुल भूमि में से वसीयत की गई भूमि को छोड़कर शेष

भूमि का बंटवारा उनके द्वारा सातों पुत्रों के मध्य कर दिया गया था। श्रीमती रामकुंअर बाई की मृत्यु उपरान्त वसीयत की गई भूमि के धनीराम भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी हुए और धनीराम की मृत्यु के उपरान्त आवेदकगण स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित व्यक्तियों का पूर्व में ही आपस में बंटवारा हो चुका था और पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार ही वह मौके पर आधिपत्यधारी स्वामी की हैसियत से है। किसी भी अभिलिखित व्यक्ति द्वारा पूर्व में हुए बंटवारे से इंकार नहीं किया गया है।

(7) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदकगण द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि जिस पर उनका स्वत्व पूर्व से पारिवारिक बंटवारे एवं वसीयत के आधार पर निरन्तर चला आ रहा था के प्रमाण स्वरूप/संपाश्विक उद्देश्य हेतुवसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था और प्रमाणित किया गया है। उक्त दस्तावेज 30 वर्ष से अधिक पुराना हैं ऐसी स्थिति में धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत भी उक्त दस्तावेज प्रमाणित माना जायेगा। धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता में यह प्रावधान है कि भूमिस्वामी उस खाते के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा। आवेदकगण का अंश उनके द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है तथा हक संबंधी कोई प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा नहीं उठाया गया है।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि जब पूर्व का आपसी बंटवारा अविवादित रहा है और उसी के आधार पर तैयार की गई फर्द बटान एवं नक्शा पर सहखातेदारों द्वारा सहमति के हस्ताक्षर किये गये हैं। इस प्रकार रिकार्ड पर सहमति प्राप्त हो चुकी थी और जब एक बार सहमति प्रदान की जा चुकी हो तब पश्चातवर्ती प्रकृति में उक्त सहमति को वापिस नहीं लिया जा सकता है और ना ही इंकार किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह लेख किया है कि दोनों फर्द बटान पर आपत्ति प्राप्त हुई जो रिकार्ड के प्रतिकूल है। पूर्व की फर्द बटान पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है और ना ही रिकार्ड पर ऐसी कोई आपत्ति है।

(9) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात विधवा द्वारा धारित सम्पत्ति व उसकी पूर्ण स्वामी होती है तथा सीमिति स्वामी के रूप में नहीं। वह अपनी सम्पत्ति जैसे चाहे निपटारा करने के लिये सक्षम है। 1994 आर0एन0 335 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यवस्था दी गई है।

(10) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि हरिप्रसाद के वारिसान सुरेश व शांताबाई द्वारा जो आपत्ति दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान पर प्रस्तुत की गई थी उसमें जिन खसरा नम्बरों को बटान में दिये जाने का लेख किया गया है उसे गलत बताया है तथा आवेदकगण का 3.76 हेक्टेयर पर भूमिस्वामी की हैसियत से आधिपत्य होना स्वीकार किया गया है तथा उक्त भूमि का फर्द बटान स्वीकृत करने तथा पूर्व में सहमति के आधार पर मौका एवं कब्जा अनुसार फर्द बटान स्वीकृत किये जाने में अपनी सहमति दी गई है।

(11) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि स्व. श्री काशीराम के वारिसान ओमप्रकाश व अन्य द्वारा भी दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान पर आपत्ति प्रस्तुत कर लेख किया था कि जो नम्बर उन्हें दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान में प्रस्तावित किये गये हैं उनमें से खसरा क्र. 465 में से 2.225 हेक्टेयर स्व. श्री धनीराम के वारिसान अर्थात् आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान गलत बनाई जाने एवं मौके पर तैयार नहीं किये जाने का स्पष्ट लेख किया गया तथा पूर्व में सहमति के आधार पर मौका एवं कब्जा अनुसार फर्द बटान स्वीकृत किये जाने में अपनी सहमति दी गई है।

(12) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया है कि स्व. श्री जमनाप्रसाद एवं सीताराम के वारिसान लक्ष्मीनारायण व अन्य तथा राजमल व अन्य द्वारा भी दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान पर आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा उनके आधिपत्य की भूमि का स्पष्ट रूप से लेख आपत्ति आवेदन में किया गया और दिनांक 16-6-16 की फर्द बटान में जो नम्बर एवं भूमि उन्हें प्रस्तावित की गई उस पर आपत्ति कर पूर्व में सहमति के आधार पर मौका एवं कब्जा अनुसार फर्द बटान स्वीकृत किये जाने में अपनी सहमति दी गई है।

(13) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया है कि आपसी बंटवारा पूर्व से होने एवं मौके पर आधिपत्य होने बाबत कथन/सहमति रिकार्ड पर उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में पूर्व से हुए बंटवारे के अनुसार आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को राजस्व अभिलेखों में पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिये थे किन्तु ऐसा ना कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध अभिवचन, साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विधिवत विवेचना ना कर आदेश पारित करने में भूल की है।

(14) अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय का न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के कारण उनका यह दायित्व था कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों का पूर्ण विवेचन कर आदेश पारित करते। इसी प्रकार अपर आयुक्त द्वारा भी रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं दस्तावेजों की विधिवत विवेचना ना कर आदेश पारित किया गया है।

(15) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि पूर्व में प्रस्तुत फर्द बंटवारा एवं नक्शा सहमति के आधार पर तैयार किया गया था जिस पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी और बिना किसी आधार के दूसरा फर्द बंटवारा तलब किया गया जो कि गलत तरीके से तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई सहमति नहीं है, बल्कि उक्त फर्द बंटवारे पर आपत्ति प्रस्तुत हुई हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोनों फर्द बंटवारों के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने का जो लेख किया गया है वह रिकार्ड के प्रतिकूल है। इसी प्रकार जो वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण की विधिक कार्यवाही के संबंध में आलोच्य आदेश में लेख किया गया है वह भी विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल है क्योंकि आवेदकगण का नाम पूर्व से राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है तथा कोई पृथक अंश अभिलिखित नहीं है तथा केवल उनका कितना अंश बनता है उसको प्रमाणित करने के उद्देश्य से श्रीमती रामकुंवर बाई द्वारा जो वसीयत की गई थी वह प्रस्तुत कर प्रमाणित की गई है कि आवेदकगण का शामिल खाते की भूमि में कितना अंश हैए जिसके लिये पृथक से फौती नामांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु इस वैधानिक स्थिति पर विचार ना कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में भूल की गई है। उक्त आधारों पर आवेदकगण द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

पारित आदेश निरस्त कर आवेदकगण एवं अन्य सह खातेदारों की सहमति पर हस्ताक्षर वाला सहमति का फर्द बटवारा जो अपर तहसीलदार के रिकार्ड में पृष्ठ क्र. 120 से 125 पर एवं पृष्ठ क्र. 126 पर फर्द नक्शा संलग्न है को स्वीकार करने एवं तदानुसार फर्द बंटवारा स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित ग्राम चंदेरी तहसील हुजूर जिला भोपाल के खसरा नम्बरों के कुल रकबा के 1/3 हिस्सा अर्थात 10.541 हैक्टर में से 3.768 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा कर पृथक खाता कायम किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किसी भी सहखातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इश्तहार के प्रकाशन के उपरान्त भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी सहखातेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपर तहसीलदार द्वारा फर्द बटान प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये तथा सहखातेदारों की सहमति से फर्द बटान एवं फर्द नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो अपर तहसीलदार के अभिलेख के पृष्ठ क्र. 120 से 126 पर संलग्न है जिस पर किसी भी सहखातेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त फर्द बटान में आवेदकगण को 3.768 हेक्टेयर भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई है। अभिलेख में श्रीमती रामकुंअर बाई द्वारा आवेदकगण के पूर्वज धनीराम को की गई वसीयत संलग्न है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा क्र. 465 में से 5.50 एकड़ एवं खसरा क्र. 469 में से 1.00 एकड कुल 6.50 एकड भूमि की वसीयत धनीराम को किये जाने का उल्लेख है । रिकार्ड पर धनीराम के भाई जमनाप्रसाद के पुत्र लक्ष्मीनारायण का भी साक्ष्य शपथ-पत्र वसीयत के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है उक्त साक्षी भी अपनी साक्ष्य में यही कथन करता है कि रामकुंअर बाई उसकी दादी थी और रामकुंअर बाई द्वारा उनके सभी पुत्रों एवं ग्राम पटेल व अन्य लोगों के समक्ष उक्त भूमि की वसीयत धनीराम के पक्ष में की गई थी तथा वसीयतनामे पर उसके पिता जमनाप्रसाद के हस्ताक्षर हैं। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वसीयतनामा एवं साक्ष्य पर अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई । रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों से यह अविवादित है कि आवेदक क्र. 1 से 4 स्व0 धनीराम के पुत्र एवं पुत्री हैं तथा क्र. 5 धनीराम की पत्नी है। इस प्रकार स्व. धनीराम का स्वत्व प्रश्नाधीन खाते में 3.768 हेक्टेयर

भूमि का बनता है जिसके अनुसार ही पूर्व में सभी सहखातेदारों की सहमति से फर्द बटान प्रस्तुत की गई है जो विधि संगत है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है , इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं एवं आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करते हुए अपर तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील हुजूर के प्रकरण क्र. 15/अ-27/11-12 के अभिलेख में पृष्ठ 120 से 126 पर संलग्न फर्द बटान एवं नक्शा क्रमशः प्रदर्श पी-1 एवं 2 स्वीकृत किये जाते हैं। तद्नुसार अपर तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील हुजूर, जिला भोपाल अभिलेख दुरूस्त करायें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर